न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :— विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्याः — 137/2017 प्रार्थना पत्र

GCMS No. — 2017/00482

1. श्रीमति गीताबाई पिता मगना जी जाति नायक आयु वयस्क निवासी बडोली घाटा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
2. श्रीमति वरदीबाई पिता मगना जी जाति नायक आयु वयस्क निवासी बडोली घाटा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

— प्रार्थीगण

बनाम

1. वरदीचंद पिता भाना जी जाति नायक आयु वयस्क निवासी बडोली घाटा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज०
2. दौलतराम पिता भाना जी जाति नायक आयु वयस्क निवासी बडोलीघाटा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
3. श्रणव पिता मांगीलाल जी जाति नायक आयु वयस्क निवासी बडोली घाटा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
4. कैलाशीबाई पत्नि पृथ्वीराजी जाति नायक आयु वयस्क निवासी बडोली घाटा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
5. कन्हैयालाल पिता गौपाल जी जाति नायक आयु वयस्क निवासी बडोली घाटा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
6. भूमिधारी तहसीलदार साहब निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
7. उपपंजियक महोदय निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

— विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र. अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम— 1955

उपस्थित :— 1— श्री नरेन्द्र वैष्णव — अधिवक्ता प्रार्थीगण
2— श्री रामचन्द्र धाकड — अधिवक्ता विपक्षी संख्या 01 से 04

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 15:58:00 IST
Reason: SelfAttested

:: निर्णय ::

दिनांक :— 30.08.2024

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थी की शामलाती खातेदारी व कब्जे काश्त की खाता सं० 605 की आ0नं0 1779 रकबा 0.0400 हेक्टेयर आ0नं0 1780 प्रार्थीगण की संयुक्त कब्जे काश्त की पुश्तैनी पैतृक आराजियात वाके मौजा बड़ोलीघाटा पटवार हल्का बड़ोलीघाटा तह० निम्बाहेडा की खाता संख्या 356 की आराजी नं0 77 रकबा 1.5700 हैक्टेयर लगानी 29 रुपये 83 पैसा, आराजी नं0

Scanned by CamScanner

78 रकबा 0.6100 हैक्टेयर लगानी 11 रुपये 59 पैसा स्थित हैं, जिसके पुराने आराजी नं0 45 रकबा 6 बीघा 4 बिस्वा एवं आराजी नं0 46 रकबा 2 बीघा 8 बिस्वा स्थित है।

2. वादग्रस्त आराजियात प्रार्थीगण के पिता मगना पिता चुना जी नायक के जमाने से चली आ रही है तथा मगना जी किसना जी व भाना जी सन 1950 से करीब 5 वर्ष पूर्व ही अलग हो गये थे ओर मगना जी का परिवार अलग था ओर मगना पिता चुना जी नायक ने अपने बाहुबल से अपने परिवार से अलग होने के बाद अपनी गाडी कमाई से स्वअर्जीत आय से वादग्रस्त आराजियात को जरिये मिसल नं0 4–1–3–49 सरकारी निलामी में 75 रुपये में खरीद की जो दिनांक 25/02/1950 को मगना के नाम निलामी में छुटी जिसके रसीद बही नं0 900 से 75 रुपये सरकारी खाने मे जमा हुवे, जिसका विक्रय प्रमाण पत्र दिनांक 05/04/1950 को निलामी अधिकारी द्वार एक रुपये के टॉक स्टेट के स्टाम्प पर जारी किया गया और उक्त आराजियात वक्त निलाम से प्रार्थीगण के पिता मगना पिता चुनाजी नायक केस्वामित्व अधिपत्य में चली आ रही थी, मंगना जी का देहान्त आज से करीब 30 वर्ष पूर्व हो गया है ओर मगना जी की पत्नि घीसीबाई का भी देहान्त करीब 6 वर्ष पूर्व हो गया है तथा मगना जी के देहान्त के बाद प्रार्थीगण जो मगना जी की पुत्रियां है उक्त आराजियात पर शांतिपूर्ण तरीके से अपने पिता के जमाने से लगातार बिना किसी बाधा के काबिज होकर काश्त करती चली आ रही हैं।

3. वादग्रस्त पूराने आराजी नं0 45 व 46 के अलावा प्रार्थीगण के पिता मगनाजी की अन्य पुश्तेनी पूराने आराजी नं० 114 रकबा 7 बीघा 6 बिस्वा थे तथा पूराने आराजी नं0 45 व 46 से प्रार्थीगण के पिता मगनाजी के भाईयों किशना व भाना का कोई ताल्लुक सरोकर संबंध नही था उक्त पुरान आराजी नं0 45 व 46 प्रार्थीगण के पिता मगना जी ने सरकारी निलामी से दिनांक 05/04/1950 से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया हैं, परन्तु राजस्व कर्मचारियों की गलती की वजह से अन्य पुश्तैनी आराजी नं0 114 के साथ में वादग्रस्त पुराने आराजी नं0 45 व 46 को शामी शरीके करते हुवे उक्त आराजियात मे किसना व भाना का नाम सहवन से दर्ज कर दिया जबकि उक्त आराजियात मगना जी की स्वअर्जीत आराजियात थी और उक्त आराजियात से मगना जी के भाईयों किसना व भानाजी का कोई ताल्लुक सरोकर संबंध नही था, ओर किसना व भाना के देहान्त के बाद उनके वारेसान विपक्षी नं0 1 ता 4 के नाम राजस्व रेकार्ड मे सहवन से दर्ज हो गई प्रार्थीगण ने विपक्षीगण [illegible] आराजियात प्रार्थीगण के नाम खातेदारी में घोषित करा कर विपक्षीगण का नाम राज[illegible] हटवाने हेतु विपक्षीगण को कई बार कहा परन्तु [illegible] के कारण विपक्षीगणों के मन मे बदनियति आ गई है [illegible] उक्त भूमि प्रार्थीगण के नाम खातेदारी में घोषित करा कर दर्ज कराने के लिए इंकार हो गये हैं। तथा प्रार्थीगणो को उनके शांति पूर्ण स्वामित्व अ[illegible]य से जबरन बेदखल करने पर आमादा है तथा वादग्रस्त आराजियात को हस्तांतरण, रहन बय बक्शीश के माध्यम से खुर्द बुर्द हस्तांतरीत करने पर आमादा हैं। प्रार्थीगण एवं गांव के मौतबीर

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 15:58:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

व्यक्तियों द्वारा विपक्षीगणो को समझाने बुझाने पर भी वे नहीं मान रहे है। इसलिए प्रार्थीगण विपक्षीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्रचलित कराने का अधिकारी है।

4. विपक्षीगणो को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराया जावे की प्रार्थना पत्र की कलम नं0 2 में वर्णित प्रार्थीगण की स्वामित्व, अधिपत्य की आराजियात से प्रार्थीगणो को जबरन बेदखल नही करे न करावें प्रार्थीगणो को शांतिपूर्ण तरीके से काबिज रहकर काश्त करने दें तथा वादग्रस्त आराजियात को हस्तांतरण रहन बय बक्शीश के माध्यम से खुर्द बुर्द हस्तांतरीत नही करे न करावें, प्रार्थीगणो को उनकी कब्जे शुदा आराजियात की फसल कटाई, बुवाई, फसल लाने ले जाने में व हकाई जुताई में बाधा पैदा नहीं करे न करावें, राजस्व रेकार्ड व मौके की यथा स्थिति मूल वाद के निर्णय तक बनाये रखें।

5. प्रकरण दर्ज किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी संख्या 5 के अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत नहीं करने से जवाब बन्द किया गया। विपक्षी क्रमांक 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री रामचन्द्र धाकड ने अधिकार पत्र मय जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया वादग्रस्त सम्पुर्ण आराजियात मौजा बडोलीघाटा तहसील निम्बाहेडा में स्थित है। वह सम्पूर्ण आराजियात प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में स्थित होकर प्रतिवादीगण ही उस पर खेती मगना जी के जमाने से करते चले आ रहे है। वादग्रस्त आराजी बडोलीघाटा में स्थित है जिनके तीन पुत्र भाना, मगना एवं किशना जी हुए। भाना एवं मगना ही जीवनपर्यन्त संयुक्त परिवार के रूप में एक साथ ही रहे थे। मगना जी के कोई जायन्दा पुत्र नहीं होने से तथा प्रार्थीगण के शादियों भाना तथा उनके पुत्रों द्वारा मगना जी के कहने से ही की थी। उस समय सारा खर्च भाना तथा उनके वारिसान द्वारा ही वहन किया गया था। मगना जी द्वारा कभी भी कोई आराजियात स्वअर्जित नहीं खरीदी गई है। मगना जी के देहान्त के तथा उनकी माता के देहान्त के पूर्व ही प्रार्थीगण को उनके हक हिस्से के अनसार राशि नकददे दी गई थी। कुछ भी लेन देन करना बकाया नहीं है। मगना जी के देहान्त के बाद प्रार्थीगण उनके सामाजिक कार्यक्रम में आई थी उसके बाद से अपने अपने ससुराल ही निवास कर रही है। उनका वादग्रस्त आराजियात पर कभी कोई कब्जा नहीं रहा है। इस चरण में मिथ्या तथ्यों का अंकन किया गया है। प्रार्थीगण के पिता द्वारा कभी कोई आराजियात सरकारी निलामी में नहीं खरीदी गई है। प्रार्थीगण के पिता मगना तथा भाना भी कभी अलग हुए ही नहीं थे। जो आराजियात खरीदी गई थी वह संयुक्त रूप से संयुक्त हिन्दू परिवार की स्वअर्जित आय से खरीदी गई थी। जब चुना जी के तीनों पुत्र शामिल रहते थे। प्रार्थीगण द्वारा जो तथ्य अपने वाद पत्र में लेकर आये है वह तथ्य कभी भी प्रार्थीगण के पिताजी द्वारा उनके जीवन काल में कभी नहीं उठाया था। प्रार्थीगण की शादी होने के समय तथा उसके बाद भी कभी इस सम्बन्ध में कोई [illegible] विपक्षीगण को नही दी गई लेकिन प्रार्थीगण द्वारा अपने स्तर पर [illegible] दस्तावेज तैयार कर जबरन विपक्षीगण के कब्जे में स्थित जमीन [illegible] प्राप्त करना चाहती है जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। संयुक्त हिन्दु परि[illegible] की जमीन जायदाद में विरासत से प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद हुआ हैं जो सही है। प्रार्थीगण किसी प्रकार से वादग्रस्त आराजियात को अपने पिता की स्वअर्जित

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 15:58:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

बताकर ऐकेले अपने नाम पर कराये जाने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजियात की घोषणा कराकर अपने नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराये जाने की अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा गलत तथ्यों पर वाद पेश किया गया है जो आगे चलकर निश्चित रूप से खारीज होने योग्य है। वादग्रस्त आराजियात पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है। प्रार्थीगण द्वारा मिथ्या तथ्यों का अंकन किया गया है। प्रार्थीगण उनके पिताजी के जीवन काल से ही अपने अपने ससुराल निवास कर रही है। प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजियात पर अपना कब्जा पुरान पिताजी के जमाने से बताकर एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा नवीनतम निर्णय 2018 में पारित किया गया जिसमें एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते है। प्रार्थीगण को इस चरण में अंकित अनुसार कोई सहायता माननीय न्यायालय से प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। विपक्षीगण द्वारा राजस्व कर्मचारीयों से मिलकर कभी भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है। जो भी हुआ वह नियमानुसार कानुनन रूप से सही विरासत अनुसार ही हुआ है। प्रार्थीगण द्वारा जमीन नाम पर कराने के लिए नहीं कहाँ गया है। केवल वाद पत्र में यह मिथ्या तथ्य अंकित किये गये हैं। प्रार्थीगण हमविपक्षीगण की आराजियात को किसी भी प्रकार से घोषणा कराकर उनके नाम पर कराये जाने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण का कभी भी जब कब्जा रहा ही नहीं तो उसका उपयोग उपभोग करना तथा आराजी से बेदखल करने का तथ्य गलत लिखा गया है। हम विपक्षीगण द्वारा हमारी जमीन को हस्तान्तरण नहीं किया जा रहा है। प्रार्थीगण किसी भी प्रकार से हमें जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाये जाने के अधिकारी नहीं है।

5. बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थीगण गण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जाने का निवेदन किया तथा विपक्षी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज किए जाने का निवेदन किया ।

6. उपर्युक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 212 के आलोक में सर्वप्रथम अस्थाई निषेधाज्ञा के कानूनी बिन्दुओं विश्लेषण प्रकरण के तथ्यों के मद्देनजर आवश्यक प्रतीत होता है। किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष सिद्ध करने हेतु तीन महत्वपूर्ण व अपरिहार्य बिन्दु है जिनका विशलेषण इस प्रकार है–

I. <u>**प्रथम दृष्टया मामला**</u>– हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि में प्रार्थीगण गण किसी भी [illegible] अस्थाई निषेधाज्ञा से से कानून रूप से पाबन्द कराने की अधिकारी न[illegible]ग्रस्त भूमि के खातेदार विपक्षी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पा[illegible] नहीं है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं बनता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 15:58:00 IST
Reason: SelfAttested

II. <u>**अपूरणीय क्षति**</u>– किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रकरण सिद्ध करने हेतु विवादित आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा के अभाव में प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होना द्वितीय शर्त है। प्रकरण के अवलोकन से वादग्रस्त आराजियात में प्रार्थीगण अपना कब्जा साबित करने में असफल रहे है । अपूर्णीय क्षति विपक्षी के पक्ष में

Scanned by CamScanner

होने से प्रार्थीगण को विवादित आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा के अभाव में कोई अपूरणीय क्षति नहीं होना साबित होता है।

III. **सुविधा का संतुलन :–** किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रकरण सिद्ध करने हेतु विवादित आराजी पर प्रार्थीगण के पक्ष में सुविधा का संतुलन का झुकाव होना तृतीय शर्त है। विवादित आराजी में प्रथम दृष्टया मामला एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं बनता है।

9. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 212 के आलोक में अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूर्वर्ण कानूनी बिन्दुओं को विश्लेषण किया। तीनों बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं होते है। पत्रावली के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की पुश्तैनी पेतृक आराजियात हैं। प्रथम दृष्टया मामला एवं अपूरणीय क्षति एवं सुविधा का संतुलन बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित नहीं हुए हैं। अतः प्रकरण में पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज किया जाना उचित हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र साबित नहीं होने से खारिज योग्य है।

–:आदेशः–

पत्रावली का अवलोकन किया गया पक्षकारान के लायक अभिभाषकगण की बहस पर गोर किया। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित हो रहे है प्रार्थीगण के पक्ष मे प्रथम दृष्टिया प्रकरण और सुविधा का संन्तुलन भी नहीं पाया गया अतः प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार नहीं है प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है। यह प्रार्थना पत्र हक अधिकार का अंतिम निधारण नही करता है हक अधिकार का प्रश्न वाद शहादत मूल वाद मे तय होगा खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 30.08.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर,
निम्बाहेड़ा

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 15:58:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner